Vol 7, Issue 11, 2024 **Impact Factor: 5.355** DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2024.7.11.7912

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

ग्रामीण भारत में महिला आरक्षण और स्थानीय स्वशासन: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों की समीक्षा

[1] स्वेता रानी (Sweta Rani)

शोधार्थी (Researcher), शिक्षा शास्त्र (Education)

[2] डॉ० नागेन्द्र राम (Dr. Nagendra Ram)

सहायक प्राध्यापक (Associate Professor), शिक्षा विभाग (Department of Education)

रामचन्द्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय, विश्रामरामपुर, पलामू (झारखण्ड), भारत - 22132

Ramchandra Chandravanshi University, Visham Rampur, Palamu (Jharkhand), India - 22132

swetarani15.8.11@gmail.com

सार: यह तुलनात्मक अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन में आरक्षण के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण की जांच करता है। यह पता लगाता है कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक कारक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई आरक्षण नीतियों के बारे में महिलाओं की धारणा को कैसे आकार देते हैं। शोध में महिलाओं की बढ़ी हुई राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, जबकि पितृसत्तात्मक मानदंडों, प्रतीकात्मकता और राजनीतिक एजेंसी की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान किया गया है। महिलाओं के बीच सशक्तिकरण से लेकर आरक्षण को महज कोटा मानने तक के विविध दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में ग्रामीण शासन में सार्थक भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए नीति कार्यान्वयन, शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता में सुधारों का आह्वान किया गया है।

कीवर्ड: महिला आरक्षण, ग्रामीण शासन, लैंगिक समानता, राजनीतिक भागीदारी, सशक्तिकरण।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

1. परिचय

स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का परिचय

लैंगिक समानता के लिए वैश्विक संघर्ष में, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। दुनिया भर में राजनीतिक व्यवस्थाओं पर ऐतिहासिक रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है ***(अग्रवाल, 2015),*** जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की आवाज़ अक्सर हाशिए पर रही है। परिणामस्वरूप, कई देशों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लिंग-आधारित आरक्षण नीतियों को अपनाया गया है। इन नीतियों को, जिन्हें कभी-कभी सकारात्मक कार्रवाई या लिंग कोटा के रूप में संदर्भित किया जाता है, ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि महिलाओं को शासन में उचित हिस्सा मिले। भारत, जो अपने जीवंत लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) में महिला आरक्षण की शुरुआत के माध्यम से स्थानीय शासन में लैंगिक असमानता को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1992 में अधिनियमित 73वें और 74वें संविधान संशोधन, ऐतिहासिक सुधार थे जिन्होंने शासन को विकेंद्रीकृत किया और इन स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक-तिहाई आरक्षित की ***(बेगम, 2015)।*** इन संशोधनों का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना था कि महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के समुदायों की, निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

1.1 ग्रामीण विकास में स्थानीय स्वशासन की भूमिका

स्थानीय स्वशासन ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंचायती राज व्यवस्था, अपनी त्रिस्तरीय संरचना के साथ, देश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की नींव के रूप में कार्य करती है। यह स्थानीय समुदायों को शासन में भाग लेने और अपने स्वयं के विकास की जिम्मेदारी लेने का अधिकार देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ सरकारी हस्तक्षेप अक्सर कम होता है, PRI बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं ***(म्यूएलर, 2016)।*** इसलिए, PRI में महिलाओं की भागीदारी को न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि शासन ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का अधिक प्रतिनिधित्व करता है। महिला नेताओं के होने से, महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दे - जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, शिक्षा और हिंसा - पर अधिक ध्यान दिए जाने की संभावना है।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

1.2 स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण का औचित्य

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरूआत एक प्रगतिशील कदम था जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रियाओं से महिलाओं के ऐतिहासिक बहिष्कार को संबोधित करना था। ग्रामीण भारत में, जहाँ पितृसत्तात्मक मानदंड अक्सर अधिक जड़ जमाए हुए हैं, महिलाओं को व्यवस्थित रूप से राजनीतिक एजेंसी से वंचित रखा गया है। आरक्षण इस बात की गारंटी देकर इसे सुधारने का एक साधन है कि महिलाओं को शासन संरचनाओं में निर्णय लेने की शक्ति मिले। इसके अलावा, महिला आरक्षण को न केवल राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है ***(गौर, 2016),*** बल्कि व्यापक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के साधन के रूप में भी देखा जाता है। शोध से पता चला है कि स्थानीय शासन में महिलाओं की उपस्थिति बेहतर शासन परिणामों से जुड़ी है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं पर अधिक ध्यान देना और भ्रष्टाचार में कमी शामिल है। महिलाओं को शासन में भाग लेने के अवसर प्रदान करके, आरक्षण गरीबी और वंचितता के चक्र को तोड़ने में मदद करता है जिसका सामना कई ग्रामीण महिलाएं करती हैं।

1.3 महिला आरक्षण के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

कानूनी प्रावधानों के बावजूद, स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण के व्यावहारिक कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक ग्रामीण भारत में व्याप्त गहरी पितृसत्तात्मक संस्कृति है ***(राथर, 2020)***। कई मामलों में, महिलाओं को आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए चुना जाता है, लेकिन असली सत्ता परिवार के पुरुष सदस्यों, खासकर पतियों के हाथों में रहती है। यह घटना, जिसे "सरपंच पति" (जहाँ निर्वाचित महिला का पति उसकी ओर से सत्ता का प्रयोग करता है) के रूप में जाना जाता है, आरक्षण प्रणाली की भावना को कमजोर करती है और महिलाओं को सच्चे राजनीतिक नेता बनने से रोकती है। इसके अतिरिक्त, अशिक्षा, जागरूकता की कमी और सीमित गतिशीलता जैसी सामाजिक बाधाएँ स्थानीय शासन में पूरी तरह से भाग लेने की महिलाओं की क्षमता को और बाधित करती हैं ***(राय, 2017)।*** कई महिलाएँ, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों की महिलाएँ, अपने अधिकारों से अनजान हैं और पुरुषों के वर्चस्व वाले राजनीतिक मंचों पर खुद को मुखर करने से हिचकिचाती हैं।

1.4 आरक्षण के प्रति महिलाओं का रवैया

आरक्षण नीतियों के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण एक समान नहीं है और शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति और क्षेत्र जैसे कई कारकों के आधार पर भिन्न होता है। जहाँ कुछ महिलाएँ आरक्षण को सशक्तिकरण और सार्वजनिक जीवन में अधिक भागीदारी की दिशा में एक कदम मानती हैं, वहीं अन्य अधिक अस्पष्ट हैं, वे इसे एक कोटा प्रणाली के रूप में देखती हैं जो लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

के बजाय उन्हें मजबूत करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित महिलाएँ अक्सर आरक्षण के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करती हैं, इसे अपने समुदायों में बदलाव लाने के अवसर के रूप में देखती हैं ***(गिरिधर, 2018)।*** हालाँकि, कम शिक्षित महिलाएँ आरक्षण को एक औपचारिकता के रूप में देख सकती हैं, जो सरकार द्वारा उन पर थोपी गई चीज़ है जिसका उनके दैनिक जीवन में बहुत कम व्यावहारिक महत्व है। इसके अलावा, प्रमुख जातियों की महिलाएँ दलितों और आदिवासियों जैसे हाशिए के समुदायों की महिलाओं की तुलना में आरक्षण को अलग तरह से देख सकती हैं, जहाँ लिंग और जाति के प्रतिच्छेदन भेदभाव की अतिरिक्त परतें बनाते हैं।

2. साहित्य की समीक्षा

अग्रवाल और शर्मा (2015) ने यह जांचने का लक्ष्य रखा कि सार्वजनिक परिवहन पर लैंगिक अलगाव जैसे नीतिगत उपायों ने ऐसे स्थानों के भीतर लैंगिक संबंधों को कैसे प्रभावित किया। फोकस दिल्ली मेट्रो की केवल महिलाओं वाली गाड़ी पर था, जिसमें यह पता लगाया गया कि इन आरक्षित स्थानों ने सामाजिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित किया। लेखकों ने मिश्रित-विधि दृष्टिकोण का उपयोग किया, जिसमें एक छोटा सर्वेक्षण, व्यक्तिगत अवलोकन और गुणात्मक अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए ऑनलाइन ब्लॉगों का विश्लेषण शामिल था। इन स्रोतों ने नीति के परिणामस्वरूप उभरते हुए लैंगिक भ्रम और बहिष्कार पर दृष्टिकोण प्रदान किए। उन्होंने देखा कि जबकि केवल महिलाओं वाली गाड़ी का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था, इसने अनजाने में लैंगिक स्थानों की वैधता के बारे में बहस को जन्म दिया। निष्कर्षों ने सुझाव दिया कि पुरुषों ने सार्वजनिक स्थान पर नए दावे करना शुरू कर दिया, जिससे इस तरह की सेटिंग में विभिन्न लिंगों के लिए क्या स्वीकार्य माना जाता है, इसकी पुनर्परिभाषा हुई। भीड़भाड़ और विभिन्न स्थानिक आवश्यकताओं के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं ने इन विवादों को आकार देने में भूमिका निभाई। लेखकों ने तर्क दिया कि इन उभरते संघर्षों ने महिलाओं की अपने निर्दिष्ट स्थान पर पूरी तरह से दावा करने की क्षमता को बाधित किया, जिससे लैंगिक विभाजन और अधिक जटिल हो गया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी लिंग आधारित नीतियों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सभी के लिए सार्वजनिक स्थान का समान उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

बेगम (2015) ने देश के लंबे समय से चले आ रहे लोकतांत्रिक ढांचे के बावजूद भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता का पता लगाने का लक्ष्य रखा। अध्ययन ने लोकतांत्रिक आदर्शों और राजनीतिक मामलों में महिलाओं की भागीदारी की वास्तविकता के बीच अंतर को उजागर करने का प्रयास किया। वैश्विक रुझानों और राजनीतिक प्रक्रियाओं के व्यापक संदर्भ पर आधारित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया। शोधकर्ता ने राजनीति में महिलाओं के हाशिए पर जाने के कारणों की जांच की, जिसमें शासन में

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकालत के एक प्रमुख बिंदु के रूप में 1995 की विश्व महिला कांग्रेस के "कार्रवाई के मंच" का संदर्भ दिया गया। निष्कर्षों से पता चला कि वैश्विक प्रयासों के बावजूद, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व चिंताजनक रूप से कम रहा, वैश्विक संसदीय सीटों में से केवल सात प्रतिशत महिलाओं के पास हैं। शोध ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विदेश नीति जैसे प्रमुख सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में महिलाओं के दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया, जो अक्सर महिलाओं को विशिष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। अध्ययन में आगे यह भी बताया गया कि जब तक महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की जाती, तब तक भारत का लोकतंत्र खतरे में रहेगा, महिला आरक्षण विधेयक को अधिक राजनीतिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक संभावित कदम के रूप में देखा जा रहा है। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि घरों से लेकर राष्ट्रीय विधायिकाओं तक सभी स्तरों पर महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति सुनिश्चित किए बिना, वास्तविक लोकतांत्रिक शासन को साकार नहीं किया जा सकता।

म्यूएलर (2016) ने 1992 से लागू भारतीय स्थानीय परिषदों में महिलाओं के लिए कोटा के प्रभाव की जांच करने का लक्ष्य रखा, जो राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक समानता को बढ़ाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर लागू होता है। अध्ययन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) की एजेंसी पर केंद्रित था और कैसे ये सकारात्मक कार्रवाई नीतियां विकेन्द्रीकृत सेवा वितरण निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इसका पता लगाने के लिए, शोध ने संस्थागत और पहचान अर्थशास्त्र सिद्धांतों के साथ संयुक्त एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण का उपयोग किया। भारत के विभिन्न संघीय राज्यों से डेटा एकत्र किया गया था, और विश्लेषण ने जांच की कि सामाजिक मानदंडों और संस्थागत संरचनाओं ने महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी को कैसे प्रभावित किया। निष्कर्षों ने संकेत दिया कि जबकि कोटा महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से थे, उन्होंने सामाजिक मानदंडों के माध्यम से पहचान की लागत भी लगाई, जिसने राजनीति में महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादी कथाओं को मजबूत किया। इन बाधाओं ने सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की परिवर्तनकारी क्षमता को सीमित कर दिया। अध्ययन ने आगे सुझाव दिया कि इन पहचान लागतों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक थे कि कोटा प्रभावी रूप से महिलाओं की एजेंसी को बढ़ावा दे। म्यूएलर के कार्य ने प्रदर्शित किया कि नारीवादी सिद्धांत पर आधारित पहचान अर्थशास्त्र का परिप्रेक्ष्य, EWRs के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने तथा लिंग-संवेदनशील नीतियों को डिजाइन करने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

गौर (2016) का उद्देश्य भारत में महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान स्थिति का पता लगाना था। अध्ययन ने विभिन्न अवधियों में महिलाओं की उतार-चढ़ाव भरी स्थिति की जांच की, वैदिक युग के दौरान देवी के रूप में पूजनीय होने से लेकर मुस्लिम और ब्रिटिश काल के दौरान दासों के रूप में व्यवहार किए जाने तक। शोधकर्ता ने स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

को आगे बढ़ाने में राजा राम मोहन राय और सरोजिनी नायडू जैसे समाज सुधारकों के प्रभाव का आकलन किया। कार्यप्रणाली में समाज में महिलाओं की भूमिकाओं की ऐतिहासिक समीक्षा शामिल थी, जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए विधायी और संवैधानिक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अध्ययन ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की संवैधानिक गारंटी का भी मूल्यांकन किया, जिसमें लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के साधन के रूप में मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों पर जोर दिया गया। निष्कर्षों ने संकेत दिया कि हालांकि सरकारी पहलों ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वे अकेले अपर्याप्त हैं। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि समाज को लैंगिक भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने और भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। लेखक ने तर्क दिया कि सच्चे सशक्तिकरण के लिए सरकारी नीतियों के साथ-साथ सामाजिक समर्थन की भी आवश्यकता होगी।

राय (2017) ने भारतीय राजनीति में महिलाओं की उभरती भूमिका का विश्लेषण करने का लक्ष्य रखा, जिसमें चुनावी प्रक्रियाओं में बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। अध्ययन ने महिलाओं के मतदान पैटर्न और राजनीति में भागीदारी का ऐतिहासिक अवलोकन प्रदान किया, विशेष रूप से 1990 के दशक से देखी गई प्रगति पर जोर दिया। कार्यप्रणाली में चुनावी डेटा का समय श्रृंखला विश्लेषण शामिल था, विशेष रूप से 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण महिला मतदाता मतदान और चुनावी अभियानों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन प्रगति के बावजूद, अध्ययन ने विधायी निकायों और राजनीतिक दलों के रैंकों में महिलाओं के निरंतर कम प्रतिनिधित्व का खुलासा किया। राय ने पाया कि भारत में राजनीतिक दल महिलाओं के मुद्दों पर महिला मतदाताओं को संगठित करने में लगातार विफल रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान किए गए लैंगिक समानता से संबंधित वादे अक्सर बाद में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। शोध ने महिला आरक्षण विधेयक के बारे में राजनीतिक जड़ता को भी उजागर किया, जो महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को संबोधित करने में राजनीतिक दलों के बीच गंभीरता की कमी का एक प्रमुख संकेतक बना हुआ है। इस प्रकार, राय ने निष्कर्ष निकाला कि जबकि चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं।

गिरिधर (2018) ने पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण पर 73वें संशोधन के प्रभाव की जांच करने का लक्ष्य रखा। अध्ययन ने आदिवासी महिला प्रतिनिधियों के बीच उनके संवैधानिक अधिकारों और स्थानीय शासन में प्रभावी रूप से शामिल होने की उनकी क्षमता के बारे में जागरूकता के स्तर का आकलन करने का प्रयास किया। शोध ने जमीनी स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से डेटा एकत्र करने के लिए साक्षात्कार और

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

केस स्टडी का उपयोग करते हुए एक गुणात्मक पद्धति का उपयोग किया। अध्ययन ने इन महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और पीआरआई के भीतर उनकी भूमिकाओं के बारे में उनकी धारणाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। निष्कर्षों से पता चला कि 73वें संशोधन ने बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं को स्थानीय शासन में भाग लेने में सक्षम बनाया है, जो उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालांकि, अध्ययन ने संवैधानिक प्रावधानों और संसाधनों तक सीमित पहुंच के बारे में उनकी जागरूकता में अंतराल की भी पहचान की, जिसने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा उत्पन्न की। जबकि संशोधन ने महिलाओं को विकास प्रयासों का हिस्सा बनने के लिए एक मंच प्रदान किया, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उनके प्रभाव को सीमित करती रहीं। कुल मिलाकर, अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि संशोधन से परिवर्तन की शुरुआत हुई है, लेकिन पीआरआई में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

एनएस, एस. (2018) ने भारतीय समाज में लैंगिक असमानता और बहिष्कार में योगदान देने वाले कारकों और उनके व्यापक निहितार्थों की जांच की। अध्ययन ने जांच की कि कैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारक महिलाओं के बहिष्कार को बनाए रखते हैं, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और परंपराओं की भूमिका पर जोर देते हैं। जाति, भाषा, धर्म और लिंग में निहित इन बाधाओं ने विशेष रूप से हाशिए के समूहों के खिलाफ पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा दिया है, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक असमानताएं पैदा हुई हैं। 2018 के सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट का पता चला, जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मुख्य रूप से कम-कुशल अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को श्रम बाजार में महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो गहरी सामाजिक असमानताओं को दर्शाता है। अध्ययन में कहा गया है कि लिंग भूमिकाओं ने महिलाओं के रोजगार के अवसरों को सीमित कर दिया है, जो पारंपरिक प्रथाओं और स्थानीय शासन में पुरुष प्रतिनिधियों के प्रभुत्व से और भी बढ़ गया है, बावजूद इसके कि संवैधानिक संशोधनों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। यह राजनीतिक समावेशन मुख्य रूप से एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों की महिलाओं को लाभान्वित करता है, हालांकि ग्रामीण पितृसत्तात्मक मूल्य अभी भी महिलाओं की भूमिकाओं को सीमित करते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला-पुरुष अनुपात 943 से 1000 है, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण और 65.46 प्रतिशत की कम महिला साक्षरता दर से प्रभावित है। राज्य और नागरिक समाज दोनों ही लैंगिक समानता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

प्रभाकरन (2019) ने समकालीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की उभरती भूमिका की जांच की, जिसमें पंचायत राज संस्थाओं (PRI) में उनकी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। अध्ययन का उद्देश्य इन संस्थाओं में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के बावजूद उनके सामने आने वाली आधुनिक चुनौतियों और मुद्दों का पता लगाना था। पद्धतिगत रूप से, पुस्तकों, पत्रिकाओं, सरकारी रिपोर्टों, सांख्यिकी, समाचार पत्रों और प्रासंगिक वेबसाइटों जैसे विविध स्रोतों से द्वितीयक डेटा का उपयोग करते हुए एक वर्णनात्मक शोध दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था। निष्कर्षों से पता चला कि, जबकि PRI में महिलाओं के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन ने उनके सशक्तिकरण के अवसरों को काफी हद तक बढ़ा दिया है, फिर भी पर्याप्त बाधाएँ बनी हुई हैं। इनमें गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंड, एक कठोर जाति व्यवस्था, व्यापक भेदभाव और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की निरक्षरता शामिल थी। PRI में कई महिलाएँ केवल नाममात्र की मुखिया के रूप में काम करती पाई गईं, जबकि वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति पुरुष रिश्तेदारों या सहयोगियों के पास थी। सुधारों के बावजूद, पारंपरिक लैंगिक पूर्वाग्रह कायम रहे, जिससे शासन और सामाजिक विकास में सक्रिय और प्रभावशाली प्रतिभागियों के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं को सही मायने में पहचानने और उनका समर्थन करने के लिए सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

देवकोटा एट अल. (2019) ने विकलांग महिलाओं के संबंध में ग्रामीण नेपाली संस्कृति में प्रचलित दृष्टिकोण और व्यवहार का पता लगाने का लक्ष्य रखा, विशेष रूप से गर्भावस्था, प्रसव और माता-पिता बनने के संबंध में। यह शोध इस समझ से प्रेरित था कि विकलांग महिलाओं को अक्सर दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है और प्रचलित नकारात्मक मान्यताओं और गलत धारणाओं के कारण उनके यौन और प्रजनन अधिकार अक्सर प्रतिबंधित होते हैं। 2015 में रूपन्देही जिले में आयोजित इस अध्ययन में गुणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया जिसमें शारीरिक और संवेदी विकलांगता वाली महिलाओं के साथ सत्रह आमने-सामने अर्ध-संरचित साक्षात्कार शामिल थे जिन्होंने गर्भावस्था और प्रसव का अनुभव किया था। इसके अतिरिक्त, विकलांग महिलाओं के बीच यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर उनके दृष्टिकोण को जानने के लिए गैर-दलित और बिना विकलांगता वाली दलित महिलाओं और महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के साथ छह फोकस समूह चर्चाएँ आयोजित की गईं। साक्षात्कारों को विषयगत रूप से लिपिबद्ध और विश्लेषित किया गया। निष्कर्षों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नकारात्मक रूढ़िवादिता और पक्षपाती सामाजिक संदर्भों की विशेषता वाले सामाजिक दृष्टिकोण ने विकलांग महिलाओं के हाशिए पर जाने में योगदान दिया। इन महिलाओं की शादी, गर्भधारण और बच्चों के पालन-पोषण की क्षमताओं के बारे में चिंताएँ गैर-विकलांग प्रतिभागियों में व्याप्त थीं। विकलांग और गैर-विकलांग दोनों व्यक्तियों ने विकलांगता के बच्चों में फैलने के बारे में डर व्यक्त किया और विकलांग महिलाओं के गर्भधारण को परिवारों और

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

समाज पर एक अतिरिक्त बोझ के रूप में देखा। अध्ययन में यह भी पता चला कि मिथक, लोककथाएँ और परंपरा और धर्म में गहराई से निहित सामाजिक गलतफहमियाँ इन नकारात्मक दृष्टिकोणों को काफी प्रभावित करती हैं, जिससे विकलांग महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, अस्वीकृति और हिंसा होती है।

राथर और मीर (2020) ने लोकतंत्र और सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता प्राप्त करने की आवश्यकता की जांच की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक आबादी में महिलाओं की आधी से अधिक हिस्सेदारी होने के बावजूद, विधायी निकायों में उनका प्रतिनिधित्व अनुपातहीन रूप से कम है, 2008 तक राष्ट्रीय संसदों में औसतन केवल 18% है। भारत में, संसदीय सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 8% था, जो इन असमानताओं को दूर करने में अभी भी आवश्यक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। अध्ययन ने विधायी प्रावधानों और निर्णय लेने में महिलाओं के वास्तविक समावेश के बीच अंतर को रेखांकित किया, 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों जैसी संवैधानिक प्रगति के बावजूद, जिसने स्थानीय शासन में महिलाओं को 33% सीटें आवंटित कीं। लेखकों ने उल्लेख किया कि भारत में महिला सशक्तीकरण भौगोलिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्थिति और आयु सहित कई कारकों से प्रभावित है। उन्होंने यह भी देखा कि यद्यपि विभिन्न नीतियाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक भागीदारी में महिला सशक्तीकरण का समर्थन करती हैं, लेकिन कानून और व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि इन चुनौतियों का समाधान करना तथा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए उभरते अवसरों की खोज करना, लैंगिक समानता प्राप्त करने तथा राजनीतिक कार्रवाई के लिए महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

हौग एट अल. (जनवरी 2020) ने भारत, नेपाल और भूटान के चुनिंदा क्षेत्रों में स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के प्रति दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। इसका उद्देश्य राजनीतिक भूमिकाओं में पुरुषों के ऐतिहासिक प्रभुत्व के बावजूद जनता की राय को समझना था। इस पद्धति में विभिन्न दृष्टिकोणों को इकट्ठा करने के लिए 6,647 स्थानीय अधिकारियों, नागरिक समाज के नेताओं और निवासियों के साथ साक्षात्कार और सर्वेक्षण शामिल थे। अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर राय आम तौर पर सकारात्मक थी, जो दृष्टिकोण के तीन मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालती है: महिलाओं की राजनीति में शामिल होने की क्षमता, परिवार की प्रतिष्ठा पर उनकी भागीदारी का प्रभाव और घरेलू जिम्मेदारियों के लिए निहितार्थ। अपेक्षाओं के विपरीत, कोई "आधुनिकता प्रभाव" नहीं देखा गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति और राजनीतिक नेतृत्व जैसे कारकों ने दृष्टिकोण पर एक समान प्रभाव नहीं दिखाया। अध्ययन में पाया गया कि शिक्षा, संगठनात्मक भागीदारी और शहरी निवास ने लगातार दृष्टिकोण को प्रभावित

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

नहीं किया। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में लगातार सकारात्मकता ने विचारों को बदलने के जटिल और बहुआयामी कारणों का सुझाव दिया। विशेष रूप से, नेपाल के उच्च स्कोर का श्रेय ऐतिहासिक राजनीतिक और सामाजिक लामबंदी को दिया गया, जबकि भारत की आरक्षण नीतियों और भूटान की सापेक्षिक लैंगिक समानता को अनुकूल राय के लिए योगदान देने वाले कारकों के रूप में देखा गया।

भुल (2021) ने नेपाल में समावेशी सार्वजनिक सेवा पर आरक्षण नीति के अवधारणात्मक प्रभावों का पता लगाने का लक्ष्य रखा, जिसमें निष्पक्षता और समानता पर केंद्रित एक सैद्धांतिक रूपरेखा का उपयोग किया गया। अध्ययन ने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा को एकीकृत करते हुए मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग किया। विशेष रूप से, अवलोकन नोट्स, फ़ील्ड नोट्स और सर्वेक्षणों और साक्षात्कारों के माध्यम से 130 प्रतिभागियों द्वारा पूरी की गई बंद-समाप्त प्रश्नावली से प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके सामग्री विश्लेषण किया गया था। द्विचर विश्लेषण से पता चला कि लिंग, आयु और शिक्षा सिविल सेवा की समावेशिता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। निष्कर्षों ने इन चरों और नेपाल की सार्वजनिक सेवा के प्रतिनिधित्व के बीच एक मजबूत संबंध पर प्रकाश डाला। शोध ने प्रणाली के चल रहे विवादों और गलतफहमियों के बावजूद, सार्वजनिक सेवा प्रतिनिधित्व और नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने में आरक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। जबकि आरक्षण नीति कुछ हाशिए के समूहों के प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने में सफल रही है, इसने बहिष्कार के सभी पहलुओं को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया है। फिर भी, लक्षित हाशिए के व्यक्तियों को राष्ट्रीय नौकरशाही प्रणाली में आकर्षित करने में नीति का प्रभाव उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक रहा है।

स्टेनबर्ग (2021) ने भारत में बेटों की पसंद पर नगरपालिका की राजनीति में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रभाव का विश्लेषण करने का लक्ष्य रखा। 1993 के क़ानून के बाद यह अनिवार्य किया गया कि नगरपालिका की एक तिहाई राजनीतिक सीटें महिलाओं को आवंटित की जाएँ, कलसी (2017) ने पहले देखा था कि इस कानून ने जन्म के क्रम में बाद में जन्म लेने वाली लड़कियों की उत्तरजीविता दरों में सुधार किया, इस आधार पर कि पहली जन्मी बेटियाँ सेक्स चयन के अधीन कम होती हैं। स्टेनबर्ग ने व्यापक प्रतिनिधि डेटा का उपयोग करके इस निष्कर्ष को चुनौती दी, यह पाते हुए कि कलसी के दृष्टिकोण की पहचान की धारणा सही नहीं थी, क्योंकि पहले के शोध ने भी सहायक डेटा की कमी के कारण इस धारणा पर सवाल उठाया था। इसके बावजूद, स्टेनबर्ग के निष्कर्षों ने राजनीतिक आरक्षण के कार्यान्वयन के बाद सेक्स चयन प्रथाओं में सामान्य गिरावट का संकेत दिया, जिसमें एक माँ के आखिरी बच्चे, विशेष रूप से दूसरे जन्मे बच्चे के लिए सेक्स चयन में उल्लेखनीय कमी आई। अध्ययन ने सुझाव दिया कि देखे गए प्रभावों को नीतिगत प्रभावों और रोल मॉडल के प्रभाव के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वर्ष 2008

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

से राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के उपाय पर भारतीय संसद में चल रही बहस को देखते हुए, ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थों को रेखांकित करते हैं।

अग्रवाल (2021) ने भारतीय संविधान के भीतर लैंगिक समानता सिद्धांतों के विकास और कार्यान्वयन तथा महिला सशक्तीकरण पर उनके प्रभाव की जांच की। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि संविधान अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करता है, जो न केवल महिलाओं के लिए समानता की गारंटी देता है बल्कि उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की भी अनुमति देता है। लेख में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1978) के बाद से महिलाओं के लिए कल्याण से विकास पर ध्यान केंद्रित करने में बदलाव का पता लगाया गया है, जिसमें 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना और 1993 के संवैधानिक संशोधनों का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इन उपायों का उद्देश्य स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। इन प्रगति के बावजूद, अग्रवाल ने पाया कि उच्च राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है और स्वतंत्रता युग के बाद से इसमें गिरावट आई है। लेख में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए धीमी प्रगति और प्रभावी रणनीतियों की कमी की आलोचना की गई है, जिसमें बताया गया है कि सामाजिक और शैक्षिक पूर्वाग्रह लैंगिक असमानताओं को बनाए रखते हैं। इसने महिला सशक्तिकरण के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण की वकालत की, मीडिया, व्यवसाय, सैन्य और प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। अध्ययन ने मौजूदा चुनौतियों और नीति निर्माताओं के लिए लैंगिक असमानता को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया।

सेमवाल (2023) ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला नेतृत्व की उन्नति और उनकी भागीदारी की खोज की, जिसमें विकास के लिए लिंग को मुख्यधारा में लाने के महत्व पर जोर दिया गया। अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी पर जाति, शिक्षा और परिवार जैसे सामाजिक कारकों के प्रभाव को समझना था। कार्यप्रणाली में स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिकाओं पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए इन सामाजिक तत्वों का व्यापक मूल्यांकन शामिल था। प्रगति के बावजूद, संसाधनों, भूमि, वित्त और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच के कारण महिलाओं को लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी, अशिक्षा और जातिगत भेदभाव सहित सामाजिक बाधाओं ने उनके आर्थिक और राजनीतिक विकास को और बाधित किया। निष्कर्षों ने संकेत दिया कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाइयों को लागू किया गया है, लेकिन अपर्याप्त शिक्षा, सार्वजनिक अनादर और पितृसत्तात्मक और जातिगत संरचनाओं जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन बाधाओं ने स्थानीय शासन के भीतर

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की प्रभावशीलता को कम कर दिया। अध्ययन ने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय शासन संस्थानों में सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, इस प्रकार एक अधिक समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान दिया।

3. निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन एक जटिल और बहुआयामी मुद्दे पर प्रकाश डालता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई आरक्षण नीति ने शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि, इस नीति का वास्तविक प्रभाव काफी हद तक उस सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण पर निर्भर करता है जिसमें इसे लागू किया जाता है ***(एनएस, एस., 2018)*** ।

महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व: आरक्षण नीति स्थानीय शासन में महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति बढ़ाने में सहायक रही है। इसने महिलाओं की आवाज़ को सुनने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने का एक औपचारिक अवसर प्रदान किया है जो सीधे उनके समुदायों को प्रभावित करते हैं। महिला नेताओं की उपस्थिति ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है ***(सैमवाल, 2023),*** विशेष रूप से उन मुद्दों पर जो महिलाओं और बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं।

चुनौतियाँ और बाधाएँ: इन उपलब्धियों के बावजूद, आरक्षण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की पूर्ण प्राप्ति में अनेक चुनौतियाँ बाधा उत्पन्न करती रहती हैं। गहराई से जड़ जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंड, परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा छद्म नेतृत्व, तथा शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता तक सीमित पहुँच महिलाओं की वास्तविक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता को सीमित करती है। "सरपंच पति" और प्रतीकात्मकता के अन्य रूपों की परिघटना महिला नेताओं को उनकी स्वतंत्रता और अधिकार का दावा करने के लिए निरंतर वकालत और समर्थन की आवश्यकता को उजागर करती है ***(अग्रवाल, 2021)।***

महिलाओं के बीच विविध दृष्टिकोण: अध्ययन से ग्रामीण महिलाओं के बीच आरक्षण के प्रति दृष्टिकोण की विविधता का भी पता चलता है। शिक्षित महिलाएँ और अधिक प्रगतिशील क्षेत्रों की महिलाएँ नीति को एक सशक्तीकरण उपकरण के रूप में देखती हैं, जबकि अधिक रूढ़िवादी या हाशिए पर रहने वाली पृष्ठभूमि की महिलाएँ इसे केवल औपचारिकता के रूप में देख सकती हैं। यह

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

भिन्नता स्थानीय संदर्भ को समझने और विशिष्ट क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए हस्तक्षेप करने के महत्व को रेखांकित करती है ***(भुल, 2021)*** ।

शिक्षा और जागरूकता की भूमिका: राजनीतिक भागीदारी के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण को आकार देने और आरक्षण द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को आकार देने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ***(स्टेनबर्ग, 2021)।*** जो महिलाएं अधिक शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, वे आरक्षण को बदलाव और सशक्तिकरण के लिए एक मंच के रूप में देखने की अधिक संभावना रखती हैं। इसलिए, आरक्षण प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ग्रामीण महिलाओं के बीच साक्षरता दर और राजनीतिक जागरूकता में सुधार के प्रयास आवश्यक हैं।

4. भविष्य की दिशाएं

महिला आरक्षण के माध्यम से की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, महिला नेताओं का समर्थन करने के उद्देश्य से नीति सुधार और जमीनी स्तर के प्रयासों दोनों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण, राजनीतिक शिक्षा और सलाह प्रदान करने वाली पहल औपचारिक प्रतिनिधित्व और वास्तविक सशक्तिकरण के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को संबोधित करना और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि महिलाएँ न केवल सत्ता की सीटों पर आसीन हों बल्कि इसका सार्थक उपयोग भी करें। इसके अलावा, भविष्य के शोध को महिलाओं के राजनीतिक अनुभवों और आरक्षण के प्रति दृष्टिकोण को आकार देने में लिंग, जाति और वर्ग की अंतःक्रियाशीलता का पता लगाना जारी रखना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों और समुदायों में तुलनात्मक अध्ययन इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे कि स्थानीय संदर्भ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की सफलता या सीमाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। संक्षेप में, जबकि स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण ने ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में एक सराहनीय योगदान दिया है, वास्तविक सशक्तिकरण की ओर यात्रा जारी है। यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है कि महिलाएँ न केवल निर्वाचित हों बल्कि अपने समुदायों में नेतृत्व करने और बदलाव लाने के लिए सशक्त भी हों। निरंतर नीतिगत समर्थन, सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं में अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ, स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी का भविष्य काफी आशाजनक है। इस अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन में आरक्षण के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के जटिल अंतर्संबंध से आकार लेता है। जबकि आरक्षण ने शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है, लेकिन इस नीति की पूरी क्षमता निरंतर पितृसत्तात्मक मानदंडों और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं के कारण अप्राप्त है।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

सार्थक भागीदारी के लिए शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। भविष्य के प्रयासों को नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देने, सामाजिक बाधाओं को दूर करने और निर्णय लेने में महिलाओं की स्वायत्तता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो अंततः अधिक समावेशी और प्रभावी स्थानीय शासन प्रणालियों में योगदान देगा।

संदर्भ

1. **अग्रवाल, ए., और शर्मा, ए. (2015) ।** दिल्ली मेट्रो में लैंगिक विवाद: महिलाओं के लिए कोच आरक्षित करने के निहितार्थ। *इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, 22* (3), 421-436।
2. **बेगम, एस. (2015).** महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: कुछ मुद्दे और चुनौतियाँ. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 1* (11), 480-486.
3. **म्यूएलर, यू. (2016) ।** प्रतिनिधित्व में खोया? नारीवादी पहचान अर्थशास्त्र और भारत की स्थानीय सरकारों में महिलाओं की एजेंसी। *नारीवादी अर्थशास्त्र, 22* (1), 158-182।
4. **गौर, ए. (2016).** भारत में महिला सशक्तिकरण. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज, 4* (11).
5. **राय, पी. (2017).** भारत में चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी: मौन नारीकरण. *साउथ एशिया रिसर्च, 37* (1), 58-77.
6. **गिरिधर, एस. (2018) ।** पंचायत राज व्यवस्था में आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्टडीज, 5* (1), 36-44।
7. **एनएस, एस. (2018) ।** भारतीय समाज में लैंगिक बहिष्कार और समानता। *समावेशी समाज के लिए दृष्टिकोण, महिला अध्ययन केंद्र, बैंगलोर विश्वविद्यालय* ।
8. **प्रभाकरन, जे. (2019) ।** भारत में पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: समकालीन मुद्दे। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज़ (आईजेआरएआर), 6 (1)* ।
9. **देवकोटा, एच.आर., केट, एम., और ग्रोस, एन. (2019) ।** ग्रामीण नेपाल में विकलांग महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार: गर्भावस्था, प्रसव और मातृत्व। *बीएमसी गर्भावस्था और प्रसव, 19,* 1-13।
10. **रादर, एस., और मीर, ए.ए. (2020).** भारत में आरक्षण नीतियाँ और महिला सशक्तिकरण: एक अवलोकन।
11. **हॉग, एम., आसलैंड, ए., और एसेन, बी. (2020, जनवरी) ।** दक्षिण एशिया में स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के प्रति दृष्टिकोण। *फोरम फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में* (वॉल्यूम 47, नंबर 1, पृष्ठ 67-87) । रूटलेज।

IJAMSR

International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281

12. **भुल, बी. (2021) ।** नेपाल की समावेशी सिविल सेवा के लिए आरक्षण नीति के अवधारणात्मक प्रभाव। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट, 8* (2), 380-390।
13. **स्टेनबर्ग, एम. (2021).** *महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पुत्र को वरीयता पर पुनर्विचार: भारत से साक्ष्य* (मास्टर थीसिस, हेनकेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स) ।
14. **अग्रवाल, पी. (2021).** महिला सशक्तिकरण: राजनीतिक पहलू प्रतिनिधित्व. *जर्नल ऑफ आईपीईएम,* 68.
15. **सेमवाल, ए. (2023) ।** उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी पर जाति, शिक्षा और परिवार का प्रभाव, उखीमठ और रायपुर ब्लॉक के विशेष संदर्भ में। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट, 10* (1), 5-9।